HRA IN VISIUA The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 379] No. 379] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 11, 2000/आषाढ़ 20, 1922

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 11, 2000/ASADHA 20, 1922

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2000

सा. का. नि. 603(अ).— केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (ii) के प्रावधान के अनुसरण में एतद्द्वारा भारत सरकार, जल भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की कांडला पत्तन न्यास से संबंधित दिनांक 6 अप्रैल, 2000 की अधिस्चना सं. सा. का. नि. 322 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. उक्त अधिसूचना के नीचे दी गई तालिका के कालम 2 में क्रम सं. 4 पर उल्लिखित शब्दों 'गांधीधाम विकास प्राधिकरण' को 'गांधीधाम चेम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री' शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए।

[सं. पी टी-18011/6/99-पी टी]

के. बी. राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (Department of Shipping) (Ports Wing) NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July. 2000

- G. S. R. 603(E).—In pursuance of the provisions of sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) G S R. No. 322(E) dated 6th April. 2000 relating to the Kandla Port Trust.
- 2. In the Table below of the said notification in column No. 2 against the serial No. 4 for the words, "GANDHIDHAM DEVELOPMENT AUTHORITY (GDA)" the words. "GANDHIDHAM CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (GCCI)", shall be substituted

IF. No PT-18011/6/99-PT1
K. V. RAO Jt. Secv

1897 GI 2000